Problem of Pollution at Air Force Road

***57. SH. NEERAJ SHARMA, MLA:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

a) Whether it is a fact that the Air Force road has been marked as hot-spot in pollution by Central Pollution Control Board in N.I.T. Faridabad Constituency; and

b) If so, the steps taken by the Government to make the above said area pollution free together with the details thereof ?

SH. MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER

Reply:

(a) Yes, Sir.

(b) Steps taken by the Government to mitigate the pollution in the area are enclosed at **Annexure-A**.

Annexure-A

The following steps have been taken up by Government through District Administration of Faridabad, Haryana State Pollution Control Board (HSPCB), and other Agencies/Departments concerned for prevention and monitoring pollution in Air Force Road Faridabad which has been identified as a hot spot by CPCB:-

i) A comprehensive action plan for abatement and control of air pollution including vehicular emission in the city of Faridabad including hotspot areas has been prepared, in consultation with District Administration and all the concerned stakeholders. The regular clearing of garbage is carried out with arrangement of refuse collectors is done by Municipal Corporation Faridabad.

ii) The State Government has been implementing directions of Environment Pollution (Prevention & Control) Authority for the National Capital Region (EPCA) issued under Graded Response Acton Plan (GRAP) for mitigation of pollution in the hot spot identified.

iii) Directions have been issued to industries/ projects in Faridabad District for installation of Online monitoring of air emissions and effluent discharge from various highly polluting Industries, Common Effluent Treatment Plants (CETPs), Common Hazardous Waste & Bio Medical Waste treatment and disposal facilities- regarding self monitoring of compliance, and 101 units have installed the same in Faridabad District and connected with HSPCB and CPCB servers, displaying the online data.

iv) The Ambient Air Quality is monitored by HSPCB through 05 Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations (CAAQMS) installed in Faridabad District through which the Ambient Air Quality is being monitored continuously on real time basis and the same is available for access through online.

v) HSPCB has been regularly inspecting the polluting industries as per the policy approved by the State Government for different categories of industries to check the installation and operation of Pollution Control Devices by Air and Water polluting units and compliance of prescribed standards for discharge of environmental pollutants. Besides regular mandatory inspections, the HSPCB is also conducting special inspections wherever it receives complaints through appropriate specified

channels against the pollution, and wherever Court/Tribunal directions are received for conduct of inspection.

vi) In an attempt to reduce the air pollution in Faridabad, the Government of Haryana has banned the registration of diesel vehicles which are more than 10 years old in NCR Districts of State of Haryana including Faridabad District.

vii) No brick kilns are allowed to operate in the State of Haryana including Faridabad District unless they are converted to zig-zag technology to improve quality of air emissions.

viii) Regular monitoring of the water quality of rivers and drains flowing through entire State of Haryana including Faridabad District, is done by HSPCB.

ix) The State Government has taken steps to control dust emissions from construction and demolition activities, and to stop of burning of agriculture wastes and residue and other garbage in open fields.

x) The State Government is also creating awareness on environmental issues through multimedia to sensitize and evoke peoples participation.

xi) HSPCB has banned the use of furnace oil as fuel in the entire State of Haryana including Faridabad District. Similarly the use of pet coke has also been banned for all industries except lime-kilns and cement plants.

Note for Pad

Starred Assembly Question No. *57 asked by SH. NEERAJ SHARMA, MLA regarding Problem of Pollution at Air Force Road

a) **Air Force Road in N.I.T. Faridabad Constituency has been identified as hot spot by Central Pollution Control Board and steps taken by the Government to mitigate the pollution in the area.**

b) **The following steps taken up by Government through District Administration of Faridabad, Haryana State Pollution Control Board (HSPCB), and other Agencies/Departments concerned for prevention and monitoring pollution in Air Force Road Faridabad which has been identified as a hot spot by CPCB:-**

1. **Action plan for abatement of air pollution in Faridabad**

   03 hotspots were identified in State of Haryana i.e. (1) Faridabad-1, DLF Industrial Area, Sector-34, (2) Faridabad 2-Ballabgarh, Air Force Road, Sector-58, 64, 50 and (3) Gurugram-Udyog Vihar.

   A comprehensive action plan for abatement and control of air pollution including vehicular emission in the city of Faridabad including hotspot areas has been prepared, in consultation with District Administration and all the concerned stakeholders, Copy of same is given at **Annexure-I.**

2. **Action against violators in Faridabad**

   During 2018-19 and 2019-20, the HSPCB has closed 92 units which were operating illegally without consent to establish (CTE)/Consent to operate (CTO) of the Board.

3. **Water Pollution Management**

   i. **Industrial Pollution**

   There are 398 water polluting units in Faridabad District required to install pollution control devices for treatment of trade/domestic effluent out of which 398 units have installed pollution control devices. Out of these, 12 units have found non complying and closure action has been taken against 1 unit, prosecution action has been taken against 2 units, closure & prosecution action has been taken against 1 unit and action is under process against remaining 8 units.

   There are 2 number existing Common Effluent Treatment Plants (CETP) of 11.15 MLD capacity installed for treatment of industrial effluent in Faridabad District.

   ii. **Direction to major water polluting industries to achieve zero liquid discharge.**

   It has been decided to address the issue of pollution of river Yamuna in a comprehensive and time bound manner under the aegis of National Ganga River Basin Authority (NGRBA). Accordingly the CPCB had issued direction u/s 18 (1) (b) of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 to prepare action plan and implementation of the same for waste water management and utilization treated effluent including achieving of zero liquid

discharge by the distilleries, Pulp and Paper Mills and Sugar Mills. This would reduce pollution load in river systems substantially. The HSPCB had issued directions to 03 industrial sectors/units for implementation of the action plan and is pursuing the matter for compliance of directions and all 3 industrial sectors/units have achieved zero liquid discharge in Faridabad District.

iii. **Recycling and Re-use of Treated Effluent.**

HSPCB is pursuing with the industries/ projects having large consumption of water for re-use and utilization of their treated effluents to protect the natural resources. Such type of industries/projects mainly includes distilleries, sugar industries, pulp and paper industries and construction projects.

iv. **Monitoring of water Quality of river Yamuna & other water bodies.**

Water quality of river Yamuna and Ghaggar alongwith other water bodies are being monitored at various locations on continuous basis, detail of which is given at **Annexure-II**.

The data generated is helpful in knowing the water quality of river Yamuna and other water bodies on continuous basis and for taking remedial measures for making strategy to control pollution.

4. *Air Pollution Management*

i. **Industrial Pollution**

There are 622 air polluting units required to install air pollution control devices out of which 622 units have installed pollution control devices. Out of these 2 units have found non complying and closure action has been taken against 2 units.

ii. **Dust emissions from construction and demolition activities**

One of the major sources of air pollution is construction and demolition activity. Haryana shahri vikas pradikarn (HSVP) and Municipal corporation Faridabad(MCF) has issued the directions to all the construction agencies to take requisite precautionary measures for proper handling, storage, transportation and dumping of demolition and construction material. Instructions have also been issued by HSVP and MCF to ensure that there should be no hot mixing of road construction material on the road side, to ensure that during construction and maintenance of road coal tar, bitumen and asphalt is brought in molten condition and same is neither brunt nor fire is put to melt these substances on open roads.

iii. **Action taken to stop burning of agriculture waste in open fields.**

Government of Haryana Environment Department has restricted the burning of agriculture waste and fallen leafs in open fields vide notification dated 16.09.2003 issued under section 19 of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. Copy of notification dated 16.09.2003 is given at **Annexure-III.**

The Government has constituted a State Level Committee under the Chairmanship of Administrative Secretary of Agriculture Department, with members from Secretaries of Departments of Finance, Environment, Revenue and Disaster Management, Home and Urban Local Bodies, with Director of Agriculture as Member Secretary, to implement and review the orders of NGT for prevention of stubble burning in the State.

Haryana Government has also constituted the District Level Committees under the chairmanship of the Deputy Commissioner vide its order dated 05.10.2016 comprising of officers from Departments of Agriculture, Panchayat, Revenue, Police and Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) for implementation of orders of NGT in controlling the air pollution in NCR Districts.

The Government has issued directions all DCs to direct the Gram Sachivs and Patwaris, during the harvest seasons, to bring all the incidents of burning of wheat stubble/paddy straw and other agricultural waste in the open fields to his/her notice.

Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) has engaged Haryana Space Application Centre (HARSAC) to monitor the crop residue burning activities in the form of satellite imageries for effective monitoring and enforcement purposes, on daily basis. Further SMS alerts regarding incidences of burning cases are sent to Deputy Commissioners, Agriculture Department and Officers of HSPCB.

The Board has also organized awareness programmes to educate the farmers about the harmful effects of burning of left over straw and also about the remedial measures thereof.

iv. Installation of Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations.

As part of Air Quality Management, Haryana has installed 05 Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations at Faridabad. Out of these 05 stations, 04 stations has recently been commissioned in the first week of February. Data of 01 station is displayed /transmitted in real time to the website/server of CPCB and HSPCB. Display Board is installed at most suitable place for regularly displaying data for public domain in Faridabad. The monthly average report of above said 01 station is given at **Annexure-IV**.

5. Hazardous Waste Management

A Common Hazardous Waste Treatment & Disposal Facility has been developed at Village Pali. (Faridabad) by Haryana Environment Management Society with the assistance of State Govt. and HSPCB, which is being operated by M/s Gujarat Enviro Protection and Infrastructure (Haryana) Pvt. Ltd.

Waste processing capacity of the facility is 25000 MTs /per annum including incineration having incinerator of capacity 12 to 14 tons per day. The estimated life of the landfill site is 30 years.

6. **Municipal Solid Waste Management**

To manage and curb menace of Municipal Solid Waste, State of Haryana through Urban Local Body Department has prepared action plan. There is 01 landfill site at Bandhwadi Gurgram for disposal of approx. 700-800 Tones/day Municipal Solid Waste generated in Faridabad.

7. **Bio Medical Waste Management**

For proper implementation of Bio Medical Waste (Management and Handling) Rules, 2016, one service provider namely M/s Golden Eagle waste Management, Village Jasana, Faridabad have been authorized to facilitate the healthcare units for scientific disposal of bio medical waste in the common Bio Medical Waste Treatment & Disposal Facility.

8. **E Waste Management**

Board is managing E-waste through collection centers/ dismantlers / recyclers. For collecting E-waste, authorization have been granted to 05 dismantlers and 01 recyclers for proper management of E-waste in the State of Haryana.

वायु सेना मार्ग पर प्रदूषण की समस्या

***57. श्री नीरज शर्मा, विधायकः क्या मुख्यमंत्री यह बताऐंगें: –**

(क) क्या यह तथ्य है कि एन0 आई0 टी0, फरीदाबाद निर्वाचन क्षेत्र में वायु सेना मार्ग को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण में अति क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है?

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विस्तारपुर्वक विवरण दें ।

श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री

(क) हाँ, श्री मान जी।

(ख) क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम **अनुबंध–क** में संलग्न हैं।

अनुबंध–क

सरकार द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण में अति क्षेत्र के रूप में चिह्नित वायु सेना मार्ग फरीदाबाद में प्रदूषण की रोकथाम और निगरानी के लिए, फरीदाबाद के जिला प्रशासन, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच0 एस0 पी0 सी0 बी0), और अन्य एजेंसियों व विभागों के माध्यम से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: –

i) जिला प्रशासन और सभी संबंधित हितधारकों के परामर्श से फरीदाबाद शहर में वाहन उत्सर्जन सहित वायु प्रदूषण के उन्मूलन और नियंत्रण के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। नगर निगम फरीदाबाद के द्वारा नियमित रूप से कूड़े की सफाई धूल संग्राहक के माध्यम से की जा रही है।

ii) राज्य सरकार चिन्हित किए गए मुख्य स्थानों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण के वर्गीकृत प्रतिक्रिया कार्य योजना (जी0 आर0 ए0 पी0) के तहत जारी किए गए निर्देशों को लागू कर रही है।

iii) फरीदाबाद जिले में विभिन्न उच्च प्रदूषण वाले उद्योगों, संयुक्त अपशिष्ट उपचार संयत्र (सी0 ई0 टी0 पी0), संयुक्त खतरनाक अपशिष्ट व जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाओं को अनुपालन की स्व निगरानी के बारे में वायु उत्सर्जन और औद्योगिक बहिस्राव पर ऑनलाइन निगरानी संयत्र लगाने के लिए निर्देशित किया गया हैं और फरीदाबाद जिले में 101 इकाइयों ने इसे लगा लिया है और जिसका ऑनलाइन डेटा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सर्वर के साथ जुड़ा हुआ है और प्रदर्शित हो रहा है।

iv) फरीदाबाद जिले में परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित 05 निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों (सी0ए0ए0क्यू0एम0एस0) के माध्यम से की जाती है, जिसके माध्यम से परिवेशी वायु गुणवत्ता की वास्तविक समय के आधार पर निरंतर निगरानी की जा रही है और यह ऑनलाइन के माध्यम से पहुँच के लिए उपलब्ध है।

v) हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमित रूप से वायु और जल प्रदूषण इकाइयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना और संचालन और पर्यावरणीय प्रदूषण के निर्वहन के लिए निर्धारित मानकों के अनुपालन की जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार प्रदूषणकारी उद्योगों का निरीक्षण कर रहा है। नियमित रूप से अनिवार्य निरीक्षणों के अलावा, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विशेष निरीक्षण भी कर रहा है, जहां भी उसे प्रदूषण के खिलाफ उपयुक्त निर्दिष्ट माध्यम से शिकायतें मिलती हैं, और निरीक्षण के संचालन के लिए न्यायालय या प्राधिकरण के निर्देश प्राप्त होते हैं।

vi) फरीदाबाद में वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयास में, हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद जिले सहित हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।

vii) फरीदाबाद जिले सहित हरियाणा राज्य में वायु उत्सर्जन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, जिन भी ईंट भट्टों ने जिग –जैग प्रौद्योगिकी में परिवर्तित नहीं किया है उन्हें चलाने की अनुमति नहीं है।

viii) हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरीदाबाद जिले सहित पूरे हरियाणा राज्य में बहने वाली नदियों और नालों के पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जा रही है।

ix) राज्य सरकार ने निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए और खुले खेतों में कृषि अपशिष्टों और अवशेषों और अन्य कचरे को जलाने से रोकने के लिए कदम उठाए हैं।

x) राज्य सरकार लोगों को संवेदीकरण के लिए मल्टीमीडिया के माध्यम से पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता पैदा कर रही है और लोगों की भागीदारी बढ़ा रही है।

xi) हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फरीदाबाद जिले सहित पूरे हरियाणा राज्य में ईंधन के रूप में भट्ठी के तेल (फरनेस ऑयल) के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी तरह चूने–भट्टों और सीमेंट संयंत्रों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए पैट कोक के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

पैड के लिए नोट

तारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या 57 श्री नीरज शर्मा, विधायक द्वारा पूछा गया वायुसेना मार्ग पर प्रदूषण की समस्या के संबध में

क) फरीदाबाद निर्वाचन क्षेत्र में वायु सेना मार्ग को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण में अति स्थान के रूप में चिह्नित किया गया है और सरकार द्वारा प्रदूषण की रोकथाम और निगरानी के लिए कदम उठाए गए हैं ।

ख) सरकार द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण में अति क्षेत्र के रूप में चिह्नित वायु सेना मार्ग फरीदाबाद में प्रदूषण की रोकथाम और निगरानी के लिए, फरीदाबाद के जिला प्रशासन, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच0 एस0 पी0 सी0 बी0), और अन्य एजेंसियों व विभागों के माध्यम से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं : –

1. फरीदाबाद में वायु प्रदूषण के उपचार के लिए कार्य योजना

हरियाणा राज्य में 03 मुख्य स्थानों की पहचान की गई है जिनमें कि (1) फरीदाबाद –1, डीएलएफ औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर –34, (2) फरीदाबाद 2–बल्लभगढ़, वायु सेना मार्ग, सेक्टर –58, 64, 50 और (3) गुरुग्राम–उद्योग विहार।

फरीदाबाद शहर सहित अति क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के उन्मूलन और नियंत्रण के लिए वाहनों के उत्सर्जन सहित, जिला प्रशासन और सभी संबंधित हितधारक विभागों के परामर्श से एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है, इसकी प्रति **अनुबंध–I** पर संलग्न है।

2. फरीदाबाद में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही

वर्ष 2018–19 और 2019–20 के दौरान, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्थापना की सहमति (सी0टी0ई0)/चलाने की सहमति (सी0टी0ओ0) के बिना अवैध रूप से चल रही 92 इकाइयों को बंद कर दिया है।

3. जल प्रदूषण प्रबंधन

i) औद्योगिक प्रदूषण

फरीदाबाद जिले में 398 जल प्रदूषणकारी इकाइयाँ को औद्योगिक बहिस्राव / घरेलू बहिस्राव के उपचार के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने अपेक्षित हैं, जिनमें से 398 इकाइयों ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए हैं। इनमें से 12 इकाइयों को गैर–अनुपालनीय पाया गया है और 1 इकाई के खिलाफ बंद करने की कार्यवाही कर दी गई है, 2 इकाइयों के खिलाफ अभियोजन कार्यवाही की गई है, 1 इकाई के खिलाफ अभियोजन और बंद करने की कार्यवाही की गई है और शेष 8 इकाइयों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

फरीदाबाद जिले में औद्योगिक अपशिष्ट के उपचार के लिए 11.15 एम0एल0डी0 क्षमता के 2 मौजूदा संयूक्त औद्योगिक अपशिष्ट उपचार संयत्र (सी0ई0टी0पी0) स्थापित हैं।

ii) शून्य तरल निर्वहन को प्राप्त करने के लिए प्रमुख जल प्रदूषणकारी उद्योगों को दिशा।

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन0जी0आर0बी0ए0) के तत्वावधान में यमुना नदी के प्रदूषण के मुद्दे को व्यापक और समयबद्ध तरीके से संबोधित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने डिस्टिलरीज, पल्प और पेपर मिल्स

और शुगर मिल्स उद्योगों के शून्य तरल निर्वहन के लिए जल (प्रदूषण और निवारण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (बी) के अधीन निर्देश जारी किए थे, जो कि जल की बर्बादी के लिए अपशिष्ट जल प्रबंधन और उपयोग के लिए कार्य योजना और कार्यान्वयन को तैयार करने के लिए थे, जिसमें शून्य तरल निर्वहन को प्राप्त करना भी शामिल था। इससे नदी प्रणालियों में प्रदूषण भार काफी हद तक कम हो जाएगा। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए 03 औद्योगिक क्षेत्रों /इकाइयों को निर्देश जारी किए थे और सभी 3 औद्योगिक क्षेत्रों / इकाइयों ने फरीदाबाद जिले में शून्य तरल निर्वहन प्राप्त कर लिया है।

iii) **उपचारित अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग।**

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए अपने उपचारित बहिस्राव के पुनः प्रयोग तथा उपयोग के लिए जल की अधिक खपत वाले उद्योगों / परियोजनाओं को समझाने में लगा हुआ है। इस तरह के उद्योगों / परियोजनाओं में मुख्य रूप से डिस्टिलरी, चीनी उद्योग, लुगदी और कागज उद्योग और निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं।

iv) **यमुना और अन्य जल निकायों की जल गुणवत्ता की निगरानी।**

यमुना और घग्गर नदी की जल गुणवत्ता के साथ अन्य जल निकायों की निरंतर आधार पर विभिन्न स्थानों पर निगरानी की जा रही है, जिसका विस्तार अनुबंध–II में संलग्न है।

उत्पन्न डेटा संतत् अधार पर यमुना नदी और अन्य जल निकायों की जल गुणवत्ता को जानने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रणनीति बनाने के लिए उपचारात्मक उपाय करने में सहायक है।

4. वायु प्रदूषण प्रबंधन

i) **औद्योगिक प्रदूषण**

622 वायु प्रदूषणकारी इकाइयों को वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने अपेक्षित हैं जिनमें से 622 इकाइयों ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगा लिए हैं। इनमें से 2 इकाइयों को गैर–अनुपालनीय पाया गया है और 2 इकाइयों के खिलाफ बंद करने की कार्यवाही की गई है।

ii) **निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से धूल उत्सर्जन**

वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से एक निर्माण और विध्वंस गतिविधि है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच0एस0वी0पी0) और नगर निगम फरीदाबाद (एम0सी0एफ0) ने सभी निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे विध्वंस और निर्माण सामग्री के उचित संचालन, भंडारण, परिवहन और डंपिंग के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। एच0एस0वी0पी0 और (एम0सी0एफ0) द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि सड़क के किनारे सड़क निर्माण सामग्री का गर्म मिश्रण नहीं होना चाहिए, सड़क के निर्माण के दौरान और कोयले की टार, कोलतार और डामर को पिघली हुई स्थिति में लाया जाए और वही खुली सड़कों पर इन पदार्थों को पिघलाने के लिए आग न लगाई जाए,

iii) **खुले खेतों में कृषि कचरे को जलाने से रोकने के लिए कार्रवाई की गई।**

पर्यावरण विभाग, हरियाणा सरकार ने वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19 के अधीन जारी अधिसूचना दिनांक 16–09–2003 द्वारा खुले क्षेत्रों (खेतों) में कृषि अपशिष्ट तथा गिरे हुए पत्तों को जलाना प्रतिबन्धित किया है। अधिसूचना दिनांक 16–09–2003 की प्रतिलिपि अनुबंध–III में संलग्न है।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों को लागू और समीक्षा करने के लिए सरकार ने कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसमें वित्त सचिव, पर्यावरण, राजस्व और आपदा प्रबंधन, गृह और शहरी स्थानीय निकायों के सचिवों को सदस्यों के रूप में तथा निदेशक, कृषि को सदस्य सचिव के रूप में लिया गया है ताकि राज्य में भूसा जलने से रोका जा सके।

एनसीआर जिलों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा सरकार ने दिनांक 05.10.2016 के आदेशानुसार उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन भी किया है, जिसमें कृषि, पंचायत, राजस्व, पुलिस और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को शामिल किया गया है।

सरकार ने खुले खेतों में गेहूं के ठूंठ/ धान के पुआल और अन्य कृषि अपशिष्टों को जलाने की सभी घटनाओं को उनके नोटिस में लाने सभी उपायुक्तों को ग्राम सचिवों और पटवारियों को निर्देशित करने के लिए के निर्देश जारी किए हैं।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दैनिक निगरानी के लिए प्रभावी निगरानी और प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए फसल अवशेष जलने की गतिविधियों की निगरानी के लिए हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एच0ए0आर0एस0ए0सी0) को शामिल किया है। जलने के मामलों की घटनाओं के बारे में एसएमएस अलर्ट उपायुक्तों, कृषि विभाग और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अधिकारियों को भेजे जाते हैं।

बचे हुए भूसे को जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए और इसके बाद के उपचारात्मक उपायों के बारे में भी बोर्ड ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

iv) **निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना।**

वायु गुणवत्ता प्रबंधन के भाग के रूप में, हरियाणा ने फरीदाबाद में 05 निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए हैं। इन 05 स्टेशनों में से, 04 स्टेशनों को हाल ही में फरवरी के पहले सप्ताह में चालू किया गया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की वेबसाइट / सर्वर पर 01 स्टेशन का डेटा वास्तविक समय में प्रदर्शित / प्रसारित किया जाता है। फरीदाबाद में सार्वजनिक डोमेन के लिए नियमित रूप से डेटा प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त जगह पर प्रदर्शन बोर्ड स्थापित किया गया है। उपरोक्त 01 स्टेशन की मासिक औसत रिपोर्ट अनुबंध–IV पर दी गई है।

5. खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन

हरियाणा सरकार और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सहायता से हरियाणा पर्यावरण प्रबंधन सोसायटी द्वारा ग्राम पाली (फरीदाबाद) में एक सामान्य खतरनाक अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा विकसित की गई है।, जो मैसर्स गुजरात

एनवायरो प्रोटेक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर (हरियाणा) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है। सुविधा की अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता 25000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जिसमें प्रतिदिन 12 से 14 टन क्षमता का भस्मीकरण शामिल है। लैंडफिल साइट का अनुमानित जीवन 30 वर्ष है।

6. नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से हरियाणा राज्य के नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के खतरे को प्रबंधित करने और रोकने के लिए कार्य योजना तैयार की है। फरीदाबाद में उत्पन्न 700–800 टन/ दिन ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए बंधवाड़ी गुरुग्राम में 01 लैंडफिल साइट है।

7. जैव चिक्तिसा अपशिष्ट प्रबंधन

जैव चिक्तिसा अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2016 उचित कार्यान्वयन के लिए एक सेवा प्रदाता, मैसर्स गोल्डन ईगल अपशिष्ट प्रबंधन, ग्राम जसाना फरीदाबाद को इकाइयों की सुविधा के लिए अधिकृत किया गया है जैव चिकित्सा अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान के लिए।

8. ई अपशिष्ट प्रबंधन

बोर्ड संग्रह केंद्रों / निराकरण/ पुनर्नवीनीकरणकर्ताओं के माध्यम से ई–कचरे का प्रबंधन कर रहा है। ई–कचरा एकत्र करने के लिए, हरियाणा राज्य में ई–कचरे के उचित प्रबंधन के लिए 05 डिस्क्राइनलर्स और 01 रिसाइक्लर्स को अधिकृत किया गया है।